अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

03 02.05.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** जे० बी० सी० अपील वाद सं० 99 आर० 15/2022–23 मेसर्स माया प्रिन्टर एण्ड स्टेशनरीज द्वारा प्रोपराइटर माया तिवारी पति उदय शंकर तिवारी 401, चौथा तल्ला, इस्टेट प्लाज़ा, मंगल टावर के पीछे, कॉटाटोली, रॉची ....अपीलकर्त्ता बनाम विनय गोयंका पिता श्री विश्वनाथ गोयंका निवासी लालजी हिरजी रोड, द्वितीय तल्ला, चौहान अरकेड, मेन रोड, रॉची .... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील अपीलकर्त्ता ने विद्वान भवन किराया नियंत्रक–सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रॉची के द्वारा जे० बी० सी० वाद सं० 22/2018 मे दिनांक 22.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भवन किराया नियंत्रक – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रॉची द्वारा अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 07.09.2022 को समर्पित रिकॉल आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, उपरोक्त वाद का अभिलेख दिनांक 24.02.2023 को बहस हेतु निर्धारित किया गया था। विपक्षी स्वयं उपस्थित हैं, के द्वारा जानकारी दी गयी कि जे० बी० सी० वाद सं० 22/2018 मे अंतिम आदेश पारित हो चुका है, इसलिए प्रस्तुत अपील की कार्रवाई निष्फल (infructuous) हो गया है। अपीलकर्त्ता की ओर विद्वान अधिवक्ता को सुना। उन्हे उक्त वाद में अंतिम पारित आदेश है, कि जानकारी नहीं थी उनके द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में प्रस्तुत अपील की कार्रवाई निष्फल (infructuous) हो	

अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

गया है।

अतः प्रस्तुत अपील की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। अपीलकर्त्ता यदि चाहे तो उक्त जे० बी० सी० वाद सं० 22/2018 मे पारित अंतिम आदेश विरूद्ध अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भवन किराया नियंत्रक –सह –अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:14:13 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9